निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं० – 55/16 दायरा तारीख- 27-6-16

शान्तीबाई पत्नी कमरु मीणा नि० सेवना (प्रार्थिया)

बनाम

1. नन्दा पिता लालीया जाति मीणा नि० सेवना
2. गोतम पिता लालीया जाति मीणा नि० सेवना
3. भंवरलाल पिता लालीया जाति मीणा " नि० "
4. मु० पिमाबाई वेबा लालीया जाति मीणा नि० सेवना
5. तहसीलदार, अरनोद

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –
श्री हर्षवर्धन सिंह – अधिवक्ता प्रार्थिया
श्री पवन भावसार – अधिवक्ता अप्रार्थीगण (1 ता 4)

० प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 212 आर०टी० एक्ट ०

-: निर्णय :- दिनांक – 22.3.21

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर-टी.ए. न्यायालय हाजा में पेश कर रखा है। मौजा सेवना खाता सं. 400 आ० सं. 1117 रकबा 0.19 हैक्ट० दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थिया काबिज काश्त है। उक्त भूमि प्रार्थिया ने 29-5-2004 को जरिये पंजीयन विक्रय-पत्र लालीया पिता जीवा से क्रय की। तत्समय उक्त भूमि भूमि विकास बैंक के रहन होने से नामान्तरण क्रेता प्रार्थिया के पक्ष में नहीं खुल पाया तत्पश्चात् विक्रेता लालीया की मृत्यु हो जाने से आराजी नन्दा, गोतम, भंवरलाल, कमलाबाई, गोतीबाई, मीराबाई पिता लालीया व पिमाबाई बेवा लालीया मील सा० खातेदार वहन बदस्तूर दर्ज हुमी। अप्रार्थी सं. 1 लगा० 3 ने अपनी बहनों कमला, गोती, मीरा का हिस्सा जरिये हकत्याग अपने नाम दर्ज करवा लिया और रहन भी खारिज करवा लिया और आपस में बँटवारा भी कर लिया।

प्रार्थिया ने अप्रार्थी सं. 1 लगा० 4 को कई बार जमीन

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

-2-

शान्तिलाल

नाम पर करवाने के लिये कहा तो टाल-मटोल की और लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हुये। उक्त आराजी को अन्य को बेचान करने की फिराक में है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 तक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी नं. 1119 का हस्तान्तरण ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। प्रार्थिया की आराजी में मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता पवनभावसार ने जवाब पेश किया। पत्रावली पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया प्रार्थिया ने 29-5-2004 को जरिये रजिस्ट्री क्रय की तब से ही प्रार्थिया काबिज काश्त है लालिया ने बैंक से लोन ले रखा था जिससे नामान्तरण नहीं खुला। लालिया की मृत्यु पर प्रार्थिया को नजरअंदाज कर आपस में बंटवारा कर लिया। लड़ाई-झगड़ा करने व आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। हम पेश है व कब्जे काश्त भी है अतः मूलवाद के निस्तारण तक विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने 29-5-2004 को जरिये विक्रय पत्र से आराजी क्रय की जबकि उन्हे पता था कि आराजी बैंक के रहन है। 25 वर्ष पहले आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तब से ही अप्रार्थी काश्त करते चले आ रहे हैं हमारा बंटवारा भी कानूनन हुआ है रजिस्ट्री 2004 में हो गयी तो दावा 2016 में लाये। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने व हमारे रिकार्ड खातेदार होने से खारिज किया जावे।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर अध्ययन किया। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस पर गौर किया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

जाहिर है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया की ओर से किये गये अभिकथन प.सं. 3 के संबंध मे गलत होना स्वीकार तो किया है परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। पंजीयन नामान्तरण सं. 118 दिनांक 04.06.15 से पूर्व का है जो तत्कालीन खातेदार लालीया ने प्रार्थिया के पक्ष में कब्जा कब्जा सुपुर्द किया था। अप्रार्थीगणों ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पर अप्रार्थीगणों के हस्ताक्षर भी अंकित नही है।

उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात का अन्तरण न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे; किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करे और न ही अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद
पीठासीन अधिकारी